न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 105/2021 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :— 2021/237

उनवान

अर्जुन पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर।
.............अपीलान्ट

बनाम

1. राजवीरसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर।
2. कृपालसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर।

........असल रेस्पोडेन्ट

3. अभयवीर पुत्र शिवराम, जाति जाट
4. जयवीर पुत्र शिवराम, जाति जाट
5. धर्मवीर पुत्र शिवराम (मृतक)
   5/1 युवराज पुत्र धर्मवीर, जाति जाट
   5/2 राजकुमारी पत्नी धर्मवीर, जाति जाट
6. महावीर पुत्र शिवराम, जाति जाट
7. श्यामवीर पुत्र शिवराम, जाति जाट
8. कृष्णवीर पुत्र शिवराम, जाति जाट

(3 से 8) जाति जाट निवासी ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर।

9. आशा पत्नी बाबूसिंह
10. जयवीर पुत्र बाबूसिंह
11. देवकुमार पुत्र बाबूसिंह
12. सोनिया पुत्री बाबूसिंह

(10 से 12) नाबालिगान ववलायत माता आशा पत्नी बाबूसिंह

13. इन्दरसिंह पुत्र बृजेन्द्रसिंह, जाति जाट
14. जगदीश प्रसाद पुत्र बृजेन्द्रसिंह, जाति जाट
15. मुन्दरा पत्नी भावसिंह, जाति जाट
16. दीपक पुत्र भावसिंह, जाति जाट
17. लाखनसिंह पुत्र बृजेन्द्रसिंह, जाति जाट
18. ओमवती पत्नी जगदीश प्रसाद, जाति गडरिया
19. धीरी पुत्र किशनसिंह, जाति जाट
20. गुलाब पुत्र किशनसिंह, जाति जाट
21. रामवीर पुत्र किशनसिंह, जाति जाट
22. कन्हैयालाल पुत्र किशनसिंह, जाति जाट
23. चंदनसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट
24. देवेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह, जाति जाट
25. मूर्ति देवी पत्नी रतनसिंह, जाति जाट
26. राजेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह, जाति जाट
27. नन्दलाल पुत्र बसंता जाति जाट
28. बुद्धोदेवी पत्नी नन्दलाल, जाति जाट
29. नरेशसिंह पुत्र घनश्याम, जाति जाट
30. रमेशचंद पुत्र घनश्याम, जाति जाट
31. सुरेश कुमार पुत्र घनश्याम, जाति जाट
32. प्रेमसिंह पुत्र घमण्डी, जाति जाट
33. बच्चूसिंह पुत्र घमण्डी, जाति जाट
34. रामसिंह पुत्र घमण्डी, जाति जाट
35. बदनसिंह पुत्र मोती, जाति जाट
36. शिवसिंह पुत्र मोती, जाति जाट (मृतक)
    36/1 जसवन्तसिंह पुत्र शिवसिंह
    36/2 पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र शिवसिंह
    36/3 मिथलेश पत्नी स्व. श्री लाखनसिंह पुत्री शिवसिंह जाति जाट निवासी ग्राम मूडिया साद पोस्ट मूडियासाद तहसील वैर जिला भरतपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

36/4 मन्तोदेवी पत्नी सन्तोष कुमार पुत्री शिवसिंह
36/5 भूदेवी पत्नी श्री सत्यप्रकाश पुत्री शिवसिंह
जाति जाट निवासी ग्राम अरदाया पोस्ट अछनेरा जिला आगरा (उ.प्र.)
36/6 बलवीरी पत्नी शिवसिंह जाति जाट निवासी ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर।

37. बलवेन्द्र सिंह पुत्र हीरा, जाति जाट
38. रविन्द्रसिंह पुत्र हीरा, जाति जाट
39. महाराजसिंह पुत्र दर्यावसिंह, जाति जाटव
40. राजेन्द्र पुत्र दर्याबसिंह, जाति जाटव
41. विजयसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति जाट
42. ज्ञानसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति जाट
43. निरंजनसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति जाट
44. भरतसिंह पुत्र मोहनसिंह, जाति जाट
45. रुकमणी पत्नी श्रीचंद जाति जाटव निवासी सहनावली तहसील व जिला भरतपुर
46. शकुन्तला देवी पत्नी श्री औंकारसिंह, जाति जाट निवासी सहनावली तहसील व जिला भरतपुर
47. श्यामलाल पुत्र मनीराम, जाति जाट (मृतक)

47/1 करनसिंह
47/2 उदयभान
47/3 दिनेश
47/4 सिराजो
47/5 शीला
47/6 शकुन्तला
जाति जाट निवासी सहनावली तहसील व जिला भरतपुर

निवासीयान ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर।

48. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

..........तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 70/2020 बउनवानी राजवीर सिंह बनाम अर्जुन में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.10.2021 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :-

1. वकील अपीलाण्ट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 श्री भोला सिंह उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 06.05.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा मु.स. 70/2020 बउनवानी राजवीर सिंह बनाम अर्जुन में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.10.2021, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय से पेश किया था कि विवादित आराजी मद सं. 2 वर्णित वादपत्र वाके ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर स्थित है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण असल व तरतीवी की शामिल काश्त की आराजी है। वादी/रेस्पोडेन्ट ने दावा पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी में वादी के हिस्से का विभाजन कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर किया जाकर वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

व प्रतिवादीगण के मध्य आराजी का विभाजन किया जावे व वादी के हिस्से का अलग से खाता व पर्चा लगान जारी किया जावे एवं प्रतिवादीगण असल को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प कोर्ट धौरमुई पर रखी जाकर दिनांक 14.10.2021 को निर्णय पारित कर उक्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार उपमन एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भोला सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण प्रशासन गाँव के संग अभियान में ले जाकर किया है जबकि इस प्रकार के अभियान में न्यायालय के अन्तर्गत विचाराधीन मुकदमों का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के कैम्प मे केवल राजीनामा के द्वारा प्रकरणों का निस्तारण व फैसला किया जाता है प्रकरण में कोई राजीनामा वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य नहीं हुआ है और बिना राजीनामा के इस प्रकार के प्रकरण का निस्तारण करने मे व प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के समक्ष विचाराधीन है और इस प्रकार की पत्रावली का न्यायिक निस्तारण केवल न्यायालय परिसर मे ही किया जा सकता है केवल राजीनामा व सहमति के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण न्यायालय के अतिरिक्त किसी कैम्प में विधि अनुसार किया जा सकता है जबकि हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार का कोई राजीनामा व सहमति नहीं हुई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। जो विधि विरुद्ध है। हस्तगत प्रकरण के आधार पर विभाजन सम्भव नहीं है क्योंकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में रकबा कमी पूर्ति का दावा अर्थात दुरुस्ती का दावा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट. के तहत उनवानी अर्जुन बनाम कृपाल मु.न. 67/2020 विचाराधीन है। जिसमें स्थगन आदेश भी जारी है जिसमें पेशी दिनांक 22.11.2021 नियत है। ऐसी स्थिति में जब तक आराजीयात का रकबा साबिक के अनुसार दुरूस्त नहीं हो जाता तब तक आराजी का विभाजन विधि अनुसार नहीं हो सकता है तथा इस सम्बन्ध मे अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (D) व सपठित धारा 151 सीपीसी व धारा 10 सी.पी.सी. के तहत अदालत मे पेश किया हुआ है जिसका जबाब भी अपीलांट सं. 1 राजवीर द्वारा जरिये अधिवक्ता पेश करवाया गया है और तहत अदालत के समक्ष निर्णय किसी भी प्रकार के कैम्प मे ले जाकर नही किया जा सकता है और न ही ऐसी पत्रावली कैम्प में ले जानी चाहिऐ थी और न ही जाना चाहिऐ थी। परन्तु अदालत तहत ने अवैधानिक रूप से उक्त पत्रावली को कैम्प में ले जाकर पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी करने में भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक आदेश की श्रेणी में नहीं आता है उक्त आदेश नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है जो कि आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की अवहेलना करते हुए दिया गाय है जो काबिल खारिजी के है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14.10.2021 न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर (प्रशासन गॉव के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प कोर्ट धौरमुई) निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रशासन गाँवों के संग अभियान लोक अदालत की भावना से मुकदमों का निर्णय किये जाने हेतु आयोजित किये जाते हैं। अधीनरथ न्यायालय द्वारा विधिवत पक्षकारों को नोटिस प्रदान कर दिनांक 14.10.2021 को पक्षकारान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स की उपस्थिति में दोनों मुकदमों में प्राथमिक डिक्री किया गया था दोनों ही पक्षकारों की उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं तथा प्रथम दृष्टया अपील खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट राजवीर सिंह व कृपालसिंह व अर्जुन सगे भाई है तथा उक्त सभी बाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। सभी खातेदारों को उनके हिस्से के मुताबिक विभाजन डिक्री पारित की है। अपीलाधीन आदेश में कोई अवैधता नहीं है क्योंकि डिक्री प्राथमिक है अपील इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश व डिक्री अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की मौजूदगी में पारित की गयी है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स ने न्यायालय की आदेशिका पर भी हस्ताक्षर किये है तथा डिक्री व आदेश दिनांक 14.10.2021 से सहमति जाहिर की है। आराजी पैत्रिक है तथा सभी बाहिस्सा बराबर के खातेदार है। समस्त संयुक्त खातेदारी की आराजी का एक साथ विभाजन किया जाना न्यायोचित है इसलिये अपीलान्ट एक समान आराजी के सम्बन्ध में समान रुप से दो प्रकरणों में विभाजन की डिक्री मे से एक डिक्री को चैलेन्ज नही करता। यहॉ पर अपीलान्ट अर्जुन के द्वारा एक डिक्री को चैलेन्ज किया है तथा अनचैलेन्ज डिक्री को सही मानता है तो अपीलाधीन डिक्री व आदेश को सही मानने के लिए एस्टोपल है। डिक्री व आदेश राजस्थान में कोई क्षेत्राधिकार अथवा कानून की त्रुटि नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। समस्त विवादित आराजी में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संयुक्त खातेदार व संयुक्त काश्तकार जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सों के अनुसार है। विभाजन की डिक्री अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का समान आधार पर विभाजन हेतु डिक्री व आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट के हितों के विपरीत डिक्री पारित नहीं की गई है तथा कोई कानूनी अवैधता नहीं है। अपीलान्ट बढिया व कीमती जमीन पर नाजायज रुप से काबिज रहकर वादी रेस्पोडेन्ट हिस्सा नहीं देना चाहता है। अपील गलत तथ्यों पर पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 2021(1) RRT 734, 2021(2) RRT 858, 2021(2) RRT 862, 2023(2) RRT 732 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.2021 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 27.10.2021 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 राजवीर सिंह पुत्र भगवान सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर वादपत्र की मद सं. 2 में वर्णितानुसार खसरा नम्बर 114/0.20, 123/0.18, 128/0.18, 129/0.12, 133/0.16, 135/0.39, 137/0.15, 146/0.29, 147/0.21, 148/0. 20, 151/0.09, 152/0.09,153/0.23,173/0.23, 178/0.15, 223/0. 23, 235/0.49, 262/0.12,

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

615/0.34, 616/0.21, 617/0.29, 618/0.48, 619/0.22, 620/0.27, 621/0.17, 622/0.15, 623/0.07, 624/0.22, 625/0.06, 627/0.20, 628/0.18, 629/0.03, 630/0.21, 729/0. 21, 742/0.04, 764/0.19, 784/0.13, 807/0.18, 816/0.18 किता 39 कुल रकबा 7.74 हैक्टेयर वर्तमान खाता संख्या 20 एवम् खसरा नम्वर 815/0.10 किता एक वर्तमान खाता संख्या 21 बाकै ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर स्थित है जो वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सहखातेदारी सहकाश्तकारी व सह कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वाहिस्सा वरावर के सहखातेदार काश्तकार है। इसके साथ ही आराजी खसरा नम्वरान 307/0.27, 429/0.26, 430/0.26, 431/0.26, 432/0.22, 433/0.29, 434/0.13, 435/0. 26, 436/0.09, 437/0.12, 438/0.19, 440/0.24, 441/0.21, 443/0.24 किता 15 कुल रकबा 3.24 हैक्टेयर वर्तमान खाता संख्या 40 बाकै ग्राम सहनावली तहसील व जिला भरतपुर स्थित में से वादी के हिस्से अनुसार अलग-अलग कुर्रे बनाये जाकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन कर अलग लगान कायम कर विभाजन में प्राप्त वादी के हिस्से पर अलग से कब्जा दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा वादपत्र पेश करने के उपरान्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन करने के आदेश प्रदान किए एवं आगामी तारीख पेशी 22.10.2020 नियत की गयी। तारीख पेशी 22.10.2020 को प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार उपमन ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11(घ) एवं धारा 151 व धारा 10 सीपीसी का पेश किया एवं प्रतिवादी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश मार्क्स शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वास्ते जबाब प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 व जबाब दावा प्रतिवादी सं. 2 एवं शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 10.12.2020 नियत की गयी। तारीख पेशी 10.12.2020 को वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 (घ) सपठित धारा 151 व धारा 10 सीपीसी को जबाब पेश किया गया। तारीख पेशी दिनांक 13.01.2021 को प्रतिवादी सं. 1 की ओर से धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। दिनांक 28.01.2021 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जबाबदावा पेश किया गया। तारीख पेशी दिनांक 15.09.2021 को प्रतिवादी सं. 3,4,6 लगायत 48 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका में अंकित किया है कि प्रतिवादी सं. 3,4,6 लगायत 48 की पी.ओ. रसीद संलग्न है। प्रतिवादी सं. 3,4,7,8 ने रजि. एडी लिफाफे लेने से इन्कार किया है, लिफाफे संलग्न पत्रावली हैं। पी.ओ. रसीद 1 माह से पुरानी है। बाबजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण सं. 3,4,6 लगायत 48 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। इसी आदेशिका में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकन किया गया है कि पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना-पत्र 07 R 11 (D) CPC व जवाब बहस प्रार्थना-पत्र धारा 10 सीपीसी व जबाबदावा प्रतिवादी सं. हेतु दिनांक 12. 10.2021 को पेश हो। प्रतिवादी सं. 5 की तामील नहीं कराई गयी है, प्रतिवादी सं. 5 की तलबी जरिये रजि.एडी. से की जाकर पत्रावली दिनांक 12.10.2021 को पेश हो। तारीख पेशी 12.10.2021 को पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 14.10.2021 को पेश होने के आदेश प्रदत किए गए। तारीख पेशी दिनांक 14.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प धौरमुई पर पेश कर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गयी। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि वाद में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जबाबदावा पेश किया जा चुका था तथा प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पेश प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व 10 सीपीसी अभी तक पत्रावली पर लम्बित थे तथा प्रतिवादी सं. 5 की तलबी भी शेष थी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 2 का जबाबदावा लिए बिना एवं उपर्युक्तानुसार लम्बित प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में बिना कोई निर्णय पारित किए तथा प्रतिवादी सं. 5 की तामील कराये बिना ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गयी जो विधि सम्मत नहीं है। बंटवारे के वाद में विधिक प्रक्रियानुसार सभी प्रतिवादीगणों को तामील उपरान्त उनके द्वारा पेश जबाबदावा के बाद वादपत्र एवं जबाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर विधिवत वादी साक्ष्य, प्रतिवादी साक्ष्य, पक्षकारान द्वारा पेश दस्तावेजात को प्रदर्शित करते हुए तथा किसी पक्षकार द्वारा पेश अन्तर्वती प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के उपरान्त ही प्राथमिक डिक्री पारित की जा सकती है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए पत्रावली सीधे ही कोर्ट कैम्प में रख कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो कतई विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं हैं। साथ ही न्यायालय हाजा में अपील सं. 110/2021 उनवानी राजवीर सिंह बनाम अर्जुन सिंह भी पेश की गयी है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.10.2021 जो प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत कैम्प धौरमुई पर ही पारित की गयी के विरुद्ध पेश की गयी है। जिसमें वादी अर्जुन सिंह जो इस अपील में अपीलान्ट है के द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत पेश कर खसरा नम्बर 307, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 443 किता 15 रकबा 3.24 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 815 रकबा 0.10 हैक्टर वाके ग्राम सहनावली के बाबत बंटवारा चाहा है जिसमें भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री उसी दिनांक 14.10.2021 को ही पारित की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों वादों अर्थात वाद सं. 70/2020 एवं 97/2021 का अध्ययन ही नहीं किया कि उक्त खसरा नम्बर वाद सं. 97/2021 में विवादित है वही खसरा नम्बर वाद सं. 70/2021 में भी शामिल हैं। उक्त खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में दो प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर अलग–अलग कुर्रे प्रस्ताव मंगवाये गये है जिससे अलग प्रस्ताव आने पर विसंगति उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। इस स्थिति में दोनों दावों को समेकित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक कानून का पालन न करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.10.2021 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचनानुसार शेष रहें प्रतिवादीगणों की तामील कराते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, साक्ष्य, सबूत लेकर नये सिरे से पुनः प्राथमिक डिक्री पारित करें।

10. निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर